

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा अधिसूचना
क्रमांक.....1512...../भू-अर्जन/2017 कोरबा दिनांक 03/02/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कोरबा	पसरखेत	8.83 ए0	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन
सुनवाई दिनांक 25/02/2017 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत चचिया नियत की गई है।
प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

12. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु
 13. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 29 परिवार
 14. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 29 परिवार
 15. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या। : निरंक
 16. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या। : निरंक
 17. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हां
 18. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता
पर विचार कर लिया गया है ? : हां
 19. परियोजना का कुल लागत। : रू0 652.51 लाख
 20. परियोजना से होने वाला लाभ : परियोजना से 300.00 हे0 खरीफ सिंचाई सुविधा
उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना से ग्राम
पसरखेत, धौराभाठा एवं चचिया लाभान्वित होंगे।
 21. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति
के लिये संभावित उपाय तथा उस पर होने
वाला समावित व्यय। : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये
संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु
अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा को राशि रुपये
5.00 लाख का भुगतान चेक क्र0 932499 दिनांक
14.12.2016 के माध्यम से किया गया है।
 22. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक
- उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई
जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(पी0दयानंद)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- 01- सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03- आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।
- 04- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05- कार्यापालन अभियंता,जल संसाधन संसाधन संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ।कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे।
- 06- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ0ग0शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07- तहसीलदार कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय,अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08- सचिव,ग्राम पंचायत पसरखेत तहसील कोरबा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी. दयानंद)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग